

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी - राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का खवाल

बनाम

अप्रार्थी हेमलदे/मगनादे निवासी खवाल अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1958
राजपुर
प्रकरण संख्या 124 / 2019 निर्णय दिनांक 28.2.19

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खवाल ने अप्रार्थी को विरुद्ध दी गयी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद खवाल के खसरा नम्बर 274 में किस्म वा. 2 मेंसे रकबा 0.16 हेक्ट. भूमि में बाटा बनाकर लगाकर अतिक्रमण किया गया। जिस पर वाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1958 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते पत्रह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी हेमलदे से नोटिस तामीन होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम खवाल खसरा नम्बर 274 में किस्म वा. 2 मेंसे रकबा 0.16 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6/- रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.16 हेक्ट. भूमि के 0.96 रुपये लगान का 50 गुणा 48/- अक्षर 35 ता 1/4 रुपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी व। मौके से मौतोल रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.2.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर